न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 317/2016 दायरा दिनांक : 08.09.2016

उनवान

1— अर्जुन आत्मज स्वर्गीय श्री हीरालाल जी, जाति राठी, निवासी ग्राम रांवा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

2— औंकार बाई उर्फ औकारी बाई पुत्री स्वर्गीय हीरालाल जी,

3— कैलाश बाई पुत्री स्वर्गीय श्री हीरालाल जी,

जाति राठी, निवासीगण ग्राम रांवा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— लक्ष्मीचन्द आत्मज स्वर्गीय श्री हीरालाल जी, जाति राठी, निवासी ग्राम रावां, हाल निवासी मकान नम्बर 109 सेक्टर नम्बर 6 केशोपुरा, कोटा

2— जगमोहन आत्मज स्वर्गीय श्री हीरालाल जी, जाति राठी, निवासी ग्राम रांवा हाल निवासी बारां द्वारा अर्जुन क्लीनिक झालावाड रोड बारां, तहसील बारां, जिला बारां

3— अमरलाल । पिसरान स्वर्गीय श्री शिवशंकरजी, जाति राठी,

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

4— बाबूलाल । निवासी ग्राम रांवा, तहसील छीपाबडोद, जिला
। बारां

5— अमरीबाई पुत्री स्वर्गीय श्री शिवशंकर जी पत्नि श्री हरदेव जी, जाति राठी, निवासी ग्राम खडियावन, तहसील छबडा, जिला बारां

6— रामकन्या पुत्री स्वर्गीय श्री शिवशंकर जी, पत्नि श्री कल्याण जी, जाति राठी, निवासी ग्राम खोपर, तहसील छबडा, जिला बारां

7— देवबाई पुत्री स्वर्गीय श्री शिवशंकर जी, पत्नि श्री रामनारायण जी, जाति राठी, निवासी किशनगंज, तहसील किशनगंज, जिला बारां

8— प्रेमचन्द पुत्र स्वर्गीय श्री गिरधारी जी, जाति राठी, निवासी ग्राम रांवा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

9— कल्याणी पुत्री स्वर्गीय श्री गिरधारी जी पत्नि श्री रामनारायण जी, जाति राठी, निवासी ग्राम चांदखेड़ी, तहसील अटरू, जिला बारां

10— शांति पुत्री स्वर्गीय श्री गिरधारी जी, पत्नि श्री रामचरण जी, जाति राठी, निवासी ग्राम नयापुरा कवाई, तहसील अटरू, जिला बारां

11— सम्पत पुत्री स्वर्गीय श्री गिरधारी जी, पत्नि श्री नारायण सिंह, जी, निवासी ग्राम हाथी दीगोद, तहसील अटरू, जिला बारां

12— राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा

.... रेस्पोडेंट

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उपस्थित – श्री एन. के. गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित ।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 09.08.2016 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद जिससे वाद संख्या – 92/2013 वास्ते वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी.ए. खारिज किया गया।

निर्णय **दिनांक : 17.07.2023**

1 वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि–

2 यह कि ग्राम रांवा पटवार हल्का राई, तहसील छीपाबडोद के राजस्व क्षेत्र में खाता संख्या 54 सम्वत 2067–2070 के तहत भूमि खसरा नम्बर 609 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा बारानी सैकण्ड लगानी 6.35 रूपये तथा भूमि खसरा नम्बर 614 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा बारानी तृतीय लगान 0.68 रूपये कुल किता 2 कुल रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा कुल लगान 7.03 रूपये स्थित है जो वर्तमान में छीतर पुत्र कस्तूरी बेवा कान्हा हिस्सा 1/2 एवं प्रेम पुत्र कल्याण, सम्पत, शान्ति पुत्रियां भूरी बेवा गिरधारी प्रतिवादी संख्या 8 ता 19 के खाते हिस्सा 1/2 दर्ज है। इन भूमियों को आगे विवादग्रस्त भूमियों से सम्बोधित किया गया है।

3 यह कि उक्त वादग्रस्त भूमियां सैटलमेंट (बन्दोबस्त) पूर्व रामनाथ पुत्र किशना, जाति राठी, निवासी रांवा के खातेदारी में दर्ज थी, खातेदार रामनाथ की मृत्यु पश्चात उक्त वादग्रस्त भूमियां मृतक रामनाथ के वारिसान पुत्र शिवशंकर, गिरधारी, मथुरालाल, हीरालाल एवं

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कन्हैया लाल उर्फ कान्हा के खातेदारी में दर्ज होनी चाहिए थी, किन्तु बन्दोबस्त सैटलमेंट के बाद उक्त भूमियां केवल कान्हा एवं गिरधारी के खाते दर्ज कर दी गई तथा शेष वारिसान शिवशंकर, मथुरालाल तथा हीरालाल के नाम खाते दर्ज नहीं किये गये, जिन्हें खाते दर्ज किये जाने का पूरा पूरा कानूनी अधिकार प्राप्त था।

4 यह कि उक्त सजरा मुताबिक मथुरालाल लाऔलाद फौत हो गया एवं कान्हा के वारिसान वर्तमान खातेदार कस्तूरी (पुत्री) एवं छीतर पुत्र लाऔलाद फौत हो जाने से आज दिनांक में शिवशंकर, गिरधारी एवं हीरालाल के वारिसान कमशः प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 एवं वादीगण 1 ता 3 एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मृतक रामनाथ की वादग्रस्त सम्पत्ति के बराबर के हकदार हैं। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 हिस्सा 1/3, प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 हिस्सा 1/3 एवं प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 हिस्सा 1/3 के खातेदार घोषित किये जाने के कानूनन अधिकारी हैं। वादीगण अपने हिस्से 1/3 पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं।

5 यह कि उपरोक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को उक्त वादग्रस्त भूमियों के 1/3 हिस्से के खातेदार घोषित होकर दर्ज खाते किये जाने के कानूनन अधिकारी है तथा भूमियां वादग्रस्त का विभाजन करा अलग खाते दर्ज किये जाने के कानूनन अधिकारी है।

6 यह कि भूमिधारी लैण्ड होल्डर (राज्य सरकार) होने से तहसीलदार छीपाबडोद को आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है।

7 यह कि प्रतिवादीगण से राज्य कर्मचारियों से कई बार निवेदन के पश्चात भी वादीगण को खातेदार दर्ज नहीं किये जाने पर आखरी बार दिनांक 11/13.06.2013 को कहने पर एवं राज्य सरकार को धारा 80

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

सी पी सी का नोटिस प्रेषित किये जाने से इसी दिनांक 13.06.2013 से वाद कारण उत्पन्न हुआ।

8 यह कि अवधि नोटिस समाप्त होने से पूर्व ही वाद प्रस्तुती हेतु धारा 80 (2) सी पी सी का प्रार्थना पत्र पेश कर वाद स्वीकृति वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

9 अतः वाद प्रस्तुत कर वादीगण की प्रार्थना है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जाकर ग्राम रांवा प0 ह0 राई, तहसील छीपाबडोद की भूमि खसरा नम्बर 609 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा लगानी 6.35 रूपये तथा भूमि खसरा नम्बर 614 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा लगानी 0.68 रूपये कुल किता 2 कुल रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा कुल लगान 7.03 रूपये के हिस्से 1/3 पर वादीगण 1 लगायत 3 एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर खाते दर्ज कर भूमियों का कब्जे अनुसार विभाजन कर अलग लगान कायम किया जाकर नक्शा ट्रेस में तरमीम किये जाने के आदेश फरमावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण के शांति पूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न करें।

10 अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –

11 प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम रांवा, तहसील छीपाबडोद में जमाबंदी सम्वत 2067–2070 के तहत भूमि खसरा नम्बर 609 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 614 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा कुल 8 बीघा 8 बिस्वा वर्तमान में छीतर पुत्र कस्तूरी बेवा कान्हा 1/2 एवं प्रेम पुत्र कल्याण सम्पत शान्ति पुत्रियां भूरी बेवा गिरधारी प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 के खाते हिस्सा 1/2 की है। उक्त वादग्रस्त भूमियां सैटलमेंट पूर्व रामनाथ पुत्र किशना, जाति राठी, निवासी रांवा के

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

खातेदारी में दर्ज थी। खातेदार रामनाथ की मृत्यु पश्चात उक्त भूमियां मृतक रामनाथ के वारिसान पुत्र शिवशंकर, गिरधारी, मथुरालाल, हीरा लाल एवं कन्हैया लाल उर्फ कान्हा के खातेदारी में दर्ज होनी चाहिए थी, किन्तु सैटलमेंट ने उक्त भूमियां केवल कान्हा व गिरधारी के खाते दर्ज कर दी, शेष वारिसान शिवशंकर, मथुरा लाल तथा हीरालाल के नाम खाते दर्ज नहीं किया।

12 पारिवारिक सजरा मुताबिक मथुरालाल लाऔलाद फौत हो गया एवं कान्हा के वारिसान वर्तमान खातेदार कस्तूरी पुत्री एवं छीतर पुत्र लाऔलाद फौत हो जाने अब शिवशंकर, गिरधारी एवं हीरालाल के वारिसान प्रतिवादी नम्बर 3 ता 7 प्रतिवादी नम्बर 8 ता 12 एवं वादीगण 1 ता 3 एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 मृतक रामनाथ की वादग्रस्त सम्पत्ति में बराबर के हकदार हैं। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 हिस्सा 1/3, प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 हिस्सा 1/3 एवं प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 हिस्सा 1/3 के खातेदार घोषित किये जाने के पूर्ण अधिकारी हैं तथा आराजी का विभाजन कराकर पृथक खाते दर्ज कराने के अधिकारी हैं।

13 उक्त आशय का वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी नम्बर 3, 4 व 9 की ओर से जर्ये वकील उपस्थिति दी, शेष प्रतिवादी के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय की गई। प्रतिवादी संख्या 3, 4 को समुचित समय जवाब को देने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं होने से जवाब बन्द किया गया।

14 प्रतिवादी 9 ने वाद पत्र का जवाब पेश कर अंकित किया कि अन्य के अलावा आराजी खसरा नम्बर 609 व 614 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा मौजा रांवा मुताबिक जमाबंदी हिस्सा 1/2 मुझ जवाबकर्ता एवं

डॉ. अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

मेरे परिवार जनों के खातेदारी में दर्ज है जबकि आराजी हिस्सा 1/2 छीतर पुत्र कान्हा व कस्तूरी बेवा कान्हा, जाति राठी, निवासी रांवा के खातेदारी में दर्ज है।

15 छीतर पुत्र कान्हा का स्वर्गवास कस्तूरी से पहले हुआ था। कान्हा के मरने के बाद कस्तूरी ने अपने जेठ शिवशंकर के पोते बृजराज पुत्र बाबूलाल, जाति राठी, निवासी रावां को पुत्र के रूप में अपने घर में रख लिया और छीतर के मरने के बाद ता जिन्दगी खेर सवेर बृजराज ने की तथा हस्व जाति रस्म रिवाज के कस्तूरी ने जलसा आम में बाबूलाल के पुत्र बृजराज को बाबूलाल व बाबूलाल की पत्नि शांतिबाई से उक्त बृजराज को अपने लिए गोद पुत्र के रूप में लिया तथा बाबूलाल व शांतिबाई ने अपने पुत्र बृजराज को कस्तूरीबाई की गोद में बैठाया तथा कस्तूरी बाई ने समाज व गांव के लोगों के समक्ष कहा कि बृजराज आज से मेरा बेटा हुआ तथा बृजराज कान्हा जी का दत्तक पुत्र है और दत्तक पुत्र के रूप में कस्तूरी बेवा कान्हा व छीतर पुत्र कान्हा के खातेदारी की आराजी पर काबिज है।

16 कस्तूरीबाई ने अपनी मृत्यु से पूर्व दिनांक 03.12.2006 को गांव के पांच पंचों के समक्ष यह तथ्य उजागर किया कि मेरी व मेरे पुत्र छीतर की सम्पत्तियों का वारिस बृजराज होगा। इस बाबत एक दस्तावेज दिनांक 03.12.2006 को गांव के लोगों के समक्ष गांव के ही लालचन्द पुत्र गोरीशंकर, निवासी रावां से लिखवाकर सुन समझ कर कस्तूरीबाई ने अपने हस्ताक्षर किये तथा गांव के पंचों ने गवाही के हस्ताक्षर किये तथा सरपंच से प्रमाणित कराया था। इस प्रकार विवादित आराजी का एक मात्र मालिक व स्वामी बृजराज जायन्दा पिता बाबूलाल व मुतबन्ना कान्हा व कस्तूरी बाई है। और वही उक्त आराजीयात पर काबिज है।

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

17 कान्हा जी के परिवार में सिवाय बृजराज के वारिस व उत्तराधिकारी नहीं है। प्रतिवादी जवाबकर्ता की कस्तूरी बाई सगी काकी थी। मृतक छीतर अपनी मां कस्तूरीबाई के जीवनकाल में ही फोत हो गया था। ऐसी सूरत में छीतर की एक मात्र वारिस कस्तूरीबाई थी। लिहाजा छीतर व कस्तूरीबाई की वाद पत्र में वर्णित आराजीयात पर बृजराज ही एक मात्र वारिस है लेकिन वादीगण को इन तमाम वाक्यात का बखूबी ज्ञान होने के बावजूद भी उक्त वाद में बृजराज को पक्षकार नहीं बनाया तथा मृतक छीतर व कस्तूरीबाई को पक्षकार बनाकर यह दावा पेश कर दिया, जो गलत है। अतः वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे।

18 मुताबिक राजस्व रेकार्ड उक्त आराजीयात में प्रतिवादी जवाबकर्ता भूरी बेवा गिरधारी, कल्याणी, शांति, सम्पत पुत्रियां गिरधारी का हिस्सा 1/2 दर्ज है, मुझ प्रतिवादी एवं प्रतिवादी नं. 8, 10 ता 12 का हिस्सा 1/2 तथा कस्तूरी व छीतर प्रतिवादी संख्या 14, 15 के स्थान पर बृजराज पुत्र बाबूलाल दत्तक पुत्र माता कस्तूरी बाई का नाम राजस्व रेकार्ड में 1/2 दर्ज किया जावे तथा जो आराजीयात हिस्से में आवे उसकी पृथक से जमाबंदी बनायी जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

19 सबूत वादी में पी. डब्ल्यू. 1 अर्जुन, पी. डब्ल्यू. 2 मोजीराम के बयान शपथ पत्र पेश हुए। प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं हुए। वादी ने वाद पत्र के साथ नकल जमाबंदी एक्जीविट पी 1, नोटिस 80 सी. पी. सी. एक्जीविट पी 2, रसीद एक्जीविट पी. 3 व पी. 4, नकल खाता 1999–2002 एक्जीविट पी 5 व पी 6, नकल जमाबंदी 2012–15 खतौनी 2013–2032 एक्जीविट पी 7, मिलान क्षेत्रफल एक्जीविट पी 8, नकल प्रा0 एक्जीविट पी 9, मिलान क्षेत्रफल एक्जीविट पी 10 पेश किये। प्रतिवादी की ओर से कोई दस्तावेज पेश नहीं हुए।

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

20 हमने वकील फरीकेन की बहस सुनी। विद्वान वकील वादी ने वाद पत्र के चरणों को दोहराया और कथन किया कि पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी 2067–2070 अनुसार विवादित आराजी वर्तमान में छीतर पुत्र कस्तूरी बेवा कान्हा हिस्सा 1/2 एवं प्रेम पुत्र कल्याणी, सम्पत, शांति पुत्रियां, भूरी बेवा गिरधारी प्रतिवादी 8 ता 12 के हिस्सा 1/2 दर्ज है। उक्त भूमियां सैटलमेंट से पूर्व में रामनाथ पुत्र किशना, जाति राठी, निवासी रांवा के खातेदारी में दर्ज थी। रामनाथ की मृत्यु के बाद विवादित भूमि मृतक रामनाथ के वारिसान पुत्र शिवशंकर, गिरधारी, मथुरालाल, हीरा लाल एवं कन्हैया लाल उर्फ कान्हा के खातेदारी में दर्ज होनी चाहिए थी, किन्तु सैटलमेंट ने उक्त भूमियां केवल कान्हा व गिरधारी के खाते दर्ज कर दी गई तथा शेष वारिसान शिवशंकर, मथुरा लाल तथा हीरा लाल के नाम खाते में दर्ज नहीं किये गये।

21 रामनाथ के परिवार के सजरे अनुसार मथुरा लाल लाऔलाद फोत हो गया एवं कान्हा के वारिसान वर्तमान खातेदार कस्तूरी पुत्री एवं छीतर पुत्र लाऔलाद फोत हो जाने से शिवशंकर गिरधारी एवं हीरा लाल के वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 व 8 ता 12 एवं वादीगण व प्रतिवादी 1 व 2 बराबर के हकदार हैं। अतः वादीगण व प्रतिवादी कम 1 व 2 की 1/3 का खातेदार घोषित किया जावे। आराजी का हिस्से अनुसार विभाजन किया जावे। जवाब में विद्वान वकील प्रतिवादी ने कथन किया कि उनका जवाब ही उनकी बहस मानी जावे एवं वादीगण का वाद खारिज किया जाकर प्रतिवादी भूरी बेवा गिरधारी, कल्याणी, शांति, सम्पत पुत्रीयां गिरधारी हिस्सा 1/2 व कस्तूरी व छीतर प्रति 14, 15 के स्थान पर बृजराज पुत्र बाबूलाल दत्तक पुत्र माता कस्तूरी बाई का नाम राजस्व रेकार्ड में 1/2 दर्ज किया जावे एवं विभाजन किया जावे।

डॉ० अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

22 हमने वकील फरीकेन की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। वाद पत्र में अंकित सजरे का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी 2067–2070 एक्जीविट पी. 1 अनुसार विवादित आराजी वर्तमान में छीतर पुत्र कस्तूरी बेवा कान्हा हिस्सा 1/2 एवं प्रेम पुत्र कल्याणी, सम्पत, शांति, पुत्रियां भूरी बेवा गिरधारी हिस्सा 1/2 दर्ज है। पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी सम्वत 1999–2002 ग्राम रांवा एक्जीविट 5 अनुसार विवादित आराजी के खातेदार रामनाथ पुत्र किशना कौम राठी दर्ज है। रामनाथ के वारिस शिवशंकर, गिरधारी, हीरा, कान्हा, मथुरा दर्ज है। उक्तानुसार खातेदार रामनाथ की मृत्यु के बाद उसके उक्त वारिसान का नाम दर्ज होना चाहिए था।

23 वादीगण का कथन है कि रामनाथ का पुत्र मथुरा लाऔलाद फोत हुआ तथा पुत्र कान्हा के वारिस प्रतिवादी 14–15 छीतर पुत्र कान्हा व कस्तूरी बेवा कान्हा ला औलाद फोत हुए हैं। इस कारण उनका व प्रतिवादी 1 व 2 का विवादित आराजी में 1/3 हक हिस्सा है, किन्तु वादीगण ने मथुरा व कान्हा के वारिस छीतर व कस्तूरी की मृत्यु बाबत उनका मृत्यु प्रमाण पत्र पेश नहीं किया और ना ही ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य या मौखिक साक्ष्य पेश किया जो उक्त मथुरा व छीतर व कस्तूरी को ला औलाद फौत होना साबित कर सके। इसके अलावा वाद पत्र में अंकित सजरे में मृतक रामनाथ के वारिस शिवशंकर, गिरधारी, मथुरालाल, हीरालाल, कान्हा व लड़की अंकित की है। मथुरा ला औलाद फोत होना तथा कान्हा फोत व उसकी बेवा कस्तूरी फोत, ललित पुत्र लाऔलाद फोत होना तथा लड़की फोत होना अंकित किया है। जबकि वाद पत्र के चरण 3 में कस्तूरी पुत्री व छीतर पुत्र अंकित किया। उक्तानुसार वाद पत्र में दिये गये सजरे व वाद में अंकित तथ्यों में भिन्नता है तथा रामनाथ के लड़की होना अंकित है

डॉ० अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उसे फोत बताया गया है किन्तु उसे लाऔलाद फोत नहीं बताया, ना ही लड़की का क्या नाम था अंकित नहीं किया। यदि लड़की लाऔलाद फोत नहीं हुई तो उसके जायज वारिसों को पक्षकार बनाना आवश्यक था लेकिन प्रस्तुत वाद में पक्षकार नहीं बनाया, ना ही लड़की का विवरण दर्ज किया।

24 प्रतिवादी 9 द्वारा प्रस्तुत जवाब में मृतक कान्हा के वारिस कस्तूरी व छीतर में छीतर कस्तूरी से पहले फोत होना तथा कस्तूरी द्वारा बृजराज पुत्र बाबूलाल को गोद लेना व बृजराज को कस्तूरी व छीतर हिस्सा 1/2 पर खातेदार दर्ज करने की प्रार्थना की गई है। किन्तु वादीगण द्वारा प्रतिवादी 9 के जवाब का कोई खण्डन नहीं किया, ना ही इस बाबत बयान पी डब्ल्यू 1 अर्जुन में उल्लेखित किया गया, जबकि वादीगण द्वारा प्रतिवादी 9 के जवाब का खण्डन आवश्यक था। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादीगण द्वारा उक्त तथ्यों को जानबूझ कर छिपाकर उक्त वाद पेश किया है। वादीगण प्रस्तुत वाद में क्लीन हैण्ड से नहीं आये हैं।

25 जहां तक प्रतिवादी 9 का जवाब है उसमें उसने स्वयं के लिए कोई कथन नहीं कर बृजराज पुत्र बाबूलाल के लिए कथन किया है जो विधि सम्मत नहीं है। यदि बृजराज मृतक कस्तूरी का गोद पुत्र था तो उसे इस वाद में नियमानुसार पक्षकार बनकर जवाब पेश करना था तथा गोद पुत्र के बारे में अंकित तथ्यों के कम में ना तो कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये, ना ही कोई मौखिक साक्ष्य ही पेश किये। प्रतिवादी 9 द्वारा प्रस्तुत जवाब विधि सम्मत नहीं होने से उस पर विचार किये जाने योग्य नहीं है। लेकिन जब बृजराज को कस्तूरी मृतक के गोद पुत्र होने का तथ्य जवाब दावे में आया है तो वादीगण द्वारा उक्त तथ्यों का खण्डन/जिरह आवश्यक था। वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य या स्वतंत्र साक्ष्यों से यह साबित नहीं किया कि

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कस्तूरी व छीतर का अन्य कोई वारिस नहीं है वे ला औलाद फोत हुए थे।

26 उक्तानुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं दिये गये मृतक रामनाथ के सजरे में भिन्नता होने व सजरे में अंकित लड़की या उसके वारिसान को दावे में पक्षकार नहीं बनाया। वादीगण द्वारा वाद पत्र तथ्यों को छिपाकर पेश करने एवं मथुरा व हीरा के वारिसान को ला औलाद फोत होने को साबित करने में सफल नहीं रहने से वाद वादी खारिज किया जाना न्यायोचित है।

27 अतः वाद वादी साबित नहीं होने व तथ्यों को छिपाकर पेश किये जाना पाये जाने से खारिज किया जाता है।

28 इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –

29 यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री कानून, न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है।

30 यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दावा बाबत हक घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं विभाजन आराजी खारिज फरमाने में त्रुटि की है।

31 यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि वादग्रस्त भूमि सैटलमेंट से पूर्व रामनाथ जी आत्मज किशना जी, जाति राठी, निवासी ग्राम रांवा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां के खाते दर्ज थी। खातेदार रामनाथ जी की मृत्यु के बाद उपरोक्त भूमि केवल कान्हा एवं गिरधारी के खाते में दर्ज की गई थी, जबकि उपरोक्त भूमि उनके समस्त पांचों पुत्रों शिवशंकर, गिरधारी, मथुरालाल, हीरालाल एवं कान्हा के खाते में दर्ज की जानी चाहिए थी। इस तथ्य को वादीगण अपीलांट

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ने शहादत से साबित कर दिया था, इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने सर्वथा गैर कानूनी रूप से दावा वादीगण अपीलांट खारिज फरमाने में त्रुटि की है। वादीगण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शहादत के खण्डन में प्रतिवादी रेस्पोडेंट द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई थी। अतः अधीनस्थ न्यायालय को वादीगण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर भरोसा कर दावा वादीगण अपीलांट डिक्री फरमाना चाहिए था।

32 यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि मथुरालाल जी लाऔलाद फोत हो गये थे एवं कान्हा के वारिसान कस्तूरी (विधवा पत्नि) एवं छीतर भी लाऔलाद फोत हो गये थे। उनके वारिसान अपीलांट एवं रेस्पोडेंट परिवारजन होने के बराबर के हकदार हैं। उपरोक्त भूमि में वादीगण अपीलांट का कानून के अनुसार 1/3 हिस्सा है। यह तथ्य भी वादीगण अपीलांट ने साक्ष्य से प्रमाणित कर दिया था। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादीगण अपीलांट खारिज फरमाने में त्रुटि की है।

33 यह कि उपरोक्त कारणों से वादीगण अपीलांट को यह दावा प्रस्तुत कर अपने को सहखातेदार घोषित कराने का विधिक अधिकारी है। वादीगण अपीलांट ने दावा प्रमाणित कर दिया था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को वादीगण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दावा डिक्री फरमाना चाहिए था।

34 यह कि ग्राम रांवा, तहसील छीपाबडोद की रामनाथ जी के खाते की दीगर आराजियात उनके उत्तराधिकारी होने से वादीगण अपीलांट के खाते में दर्ज हो चुकी है। इस तथ्य पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाने में त्रुटि की है।

35 यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह करार फरमाने में त्रुटि की है कि वादीगण अपीलांट न्यायालय के समक्ष क्लीन हैण्ड से नहीं आये

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी नम्बर 9 का जवाबदावा विधि सम्मत नहीं होना मानकर खारिज फरमाने में त्रुटि की है।

36 यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद एवं सजरा परिवार रामनाथ जी में भिन्नता होना मानकर दावा वादीगण अपीलांट खारिज फरमाने में त्रुटि की है।

37 यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने सजरा परिवार में अंकित लड़की या उसके वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया जाना मानकर दावा वादीगण अपीलांट खारिज फरमाने में त्रुटि की है।

38 यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक मथुरा व हीरा के वारिसान को लाऔलाद फोत होने के तथ्य को साबित करने में वादीगण अपीलांट का सफल नहीं होना मानकर दावा वादीगण अपीलांट खारिज फरमाने में त्रुटि की है।

39 अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय एवं डिक्री जैर अपील निरस्त फरमाई जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दावा डिक्री फरमाने की कृपा करें।

40 अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

41 हमने एकपक्षीय विद्वान योग्य अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं कानूनी विनिर्णयों का ध्यानपूर्वक एवं सम्मानपूर्वक अध्ययन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड का अवलोकन किया ।

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी * कोटा *

42— अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पेश प्रदर्श एक्जीविट पी—5 नकल खाता मौआ रावां निजामत छीपाबडोद के अनुसार संवत 1999 में खातेदार रामनाथ पुत्र किशना था इसके बाद संवत 2000 में खातेदार शिवशंकर, गिरधारी, हीरा, कान्हा, मथरा पुत्र रामनाथ बांट बराबर हिस्सा दर्ज है। संवत 2001—2002 में भी बदस्तूर खातेदारान का नाम दर्ज है।

43— प्रदर्श एक्जीविट पी—6 नकल जमाबंदी ग्राम रावां तहसील छीपाबडोद के अनुसार संवत 2012—2015 में खातेदार शिवशंकर, गिरधारी, हीरा, कान्हा, मथरा पुत्र रामनाथ हिस्सा दर्ज है। किन्तु प्रदर्श एक्जीविट पी 7 नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2013—2032 में खातेदार कान्हा, गिरधारी ही दर्ज है।

44— ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट नहीं होता है कि खातेदार रामनाथ जी की मृत्यु के बाद उपरोक्त भूमि केवल कान्हा एवं गिरधारी के खाते में दर्ज की गई थी, जबकि उपरोक्त भूमि उनके समस्त पांचों पुत्रों शिवशंकर, गिरधारी, मथुरालाल, हीरालाल एवं कान्हा के खाते में दर्ज की जानी चाहिए थी।

45— मथुरा लाल लाऔलाद फौत हो गया एवं कान्हा के वारिसान कस्तूरी (विधवा पत्नी) एवं छीतर पुत्र भी लाऔलाद फौत हो गया। खातेदार शिवशंकर, गिरधारी, हीरा शेष रहे। **किन्तु वर्तमान जमाबंदी के आधार पर उक्त विवादित आराजी केवल गिरधारी के वारिसान के नाम दर्ज है जबकि उक्त विवादित आराजी पर शिवशंकर, गिरधारी, हीरा के वारिसान का नाम भी दर्ज होना चाहिए था।** ऐसी स्थिति में अपील अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना हम उचित समझते है।

डॉ. अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

46— उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.08.2016 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि शेष खातेदार शिवशंकर, गिरधारी, हीरा के वारिसान को तलब कर उभयपक्षकारों को सुनकर गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत रूप से प्रकरण में नये सिरे से निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.09.2023 को उपस्थित होवें ।

47— निर्णय आज दिनांक 17.07.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/7/2023

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा